

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जलन्धर सिंह बनाम पृथ्वी सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, नम्बर 13 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/91

तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

01.04.2025

प्रार्थी जलन्धर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एफ तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए, प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.04.2025 को पेश हो।

3 ⁴/₂₅

आज यह पत्रावली प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथना पत्र Not Press करने पर पेशी में ली गई।

प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर मूलवाद के साथ सलग्न है।

NOT Press

Sury

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

